संख्या-97/2018/4127/22-2-2017-17(185)/2009

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,

कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शोर अली पुत्र श्री असगर निवासी जनपद-बुलन्दशहर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3(एम-21.12.2017) दिनांक 29.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शोर अली पुत्र श्री असगर, जो ग्राम-सांखनी, थाना जहांगीराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। शव दफनाने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01.02.1989 को अपरान्ह् लगभग 03:30 बजे रायफल, बन्दूक, कट्टा, बल्लम, फरसा, छूरी आदि से मारकर 11 लोगों की हत्या कर दी एवं कई अन्य लोगो को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 332/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 10.08.1992 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.1994 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.12.2017 तक 28 वर्ष 08 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 37 वर्ष 01 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु, 01 सहअभियुक्त फरार है, 10 सहअभियक्त कारागार में निरूद्ध हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी ने शव दफनाने को लेकर हुए विवाद में 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01.02.1989 को रायफल, बन्दूक, कट्टा, बल्लम, फरसा, छूरी आदि से मारकर 11 लोगों की हत्या कर दी एवं कई अन्य लोगो को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शोर अली पुत्र श्री असगर अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उल्लेखनीय है कि बन्दी द्वारा अपनी समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में क्रि0 याचिका सं-118/2017 शोर अली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी है। उक्त याचिका में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 का संगत अंश निम्नवत उद्धृत है:- .....we set aside the said order dated 13th July, 2011 and require the concerned Authority in the State Government i.e. State of Uttar Pradesh to consider the case of the petitioner for release/remission under any law/executive scheme/order, as may be in force and thereafter pass a reasoned order in the matter. Such decision of the concerned Authority will be made within a period of four weeks from the date of receipt of a copy of this Order...

4- अत: मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के अनुपालन तथा उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शोर अली (बन्दी संख्या-5649) पुत्र श्री असगर निवासी जनपद-बुलन्दशहर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-97/2018/4127(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्या-97/2018/4127/22-2-2017-17(185)/2009

दिनांक 22 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शोर अली पुत्र श्री असगर, जो ग्राम-सांखनी, थाना जहांगीराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। शव दफनाने को लेकर हुए विवाद में बन्दी ने 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01.02.1989 को अपरान्ह् लगभग 03:30 बजे रायफल, बन्दूक, कट्टा, बल्लम, फरसा, छूरी आदि से मारकर 11 लोगों की हत्या कर दी एवं कई अन्य लोगो को घायल कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-245/1989 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 148, 332/149, 307/149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 10.08.1992 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.1994 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 06.12.2017 तक 28 वर्ष 08 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 37 वर्ष 01 माह 18 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 06 सहअभियुक्त मा0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 03 सहअभियुक्तों की मृत्यु, 01 सहअभियुक्त फरार है, 10 सहअभियक्त कारागार में निरूद्ध हैं। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी ने शव दफनाने को लेकर हुए विवाद में 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 01.02.1989 को रायफल, बन्दूक, कट्टा, बल्लम, फरसा, छूरी आदि से मारकर 11 लोगों की हत्या कर दी एवं कई अन्य लोगो को घायल करने का जघन्यतम अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के अपराध करने में अशक्त न होने की पुष्टि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शोर अली पुत्र श्री असगर अली को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in